

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम : जल संसाधन विभाग

संक्र.	योजना	विवरण
1	<p>योजना का नाम उपयोजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो; तो कृपया निम्नांकित जानकारी उपयोजनावार प्रेषित की जाए।</p> <p>Name of the Scheme with Sub-Components, if any. please give the following details sub-component wise if applicable</p>	निरंक NIL
2	<p>क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।</p> <p>Whether it is a Government of India/State Government sponsored Scheme?</p>	निरंक NIL
3	<p>राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग</p> <p>Nodal department/directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.</p>	निरंक NIL
4	<p>जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग</p> <p>Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme.</p>	निरंक NIL
5	<p>योजना का उद्देश्य</p> <p>Objective of the Scheme</p>	निरंक NIL
6	<p>क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। उन क्षेत्रों /जिलों/विकासखंडों के नाम दर्शाये जाए।</p> <p>Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State? If not indicate the regions/district/blocks where the Scheme is under implementation.</p>	निरंक NIL
7	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/महिला आदि)</p> <p>Type of beneficiaries covered under the Scheme.(SF/MF/OF/SC/ST/Other/Men/Women etc.)</p>	निरंक NIL
8	<p>हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड; यदि कोई हो तो Eligibility criteria for the beneficiary, if any.</p>	निरंक NIL
9	<p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।</p> <p>Whether assistance is provided on an individual basis/individual and group basis or both.</p>	निरंक NIL

10	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की शांशि; हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये ।</p> <p>दर (प्रतिशत) ; न्यूनतम् ० अधिकतम्</p> <p>भारत सरकार का अंशदान</p> <p>राज्य सरकार का अंशदान</p> <p>Details of subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of category of beneficiary, please give category wise details rate(%)</p> <p>Minimum</p> <p>Maximum</p> <p>GOI Contribution</p> <p>State Government contribution</p>	निरंक NIL
11	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है । यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए ।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary , other than subsidy being provided if so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.</p>	निरंक NIL
12	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनान्तर्गत अपेक्षित हैं ।</p> <p>Type of economic activities envisaged under the Scheme.</p>	निरंक NIL
13	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है। यदि हाँ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें ।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group. If so please give details.</p>	निरंक NIL
14	<p>क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है ।</p> <p>Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.</p>	निरंक NIL
15	<p>क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूपरेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिये गए हैं ।</p> <p>Whether any project profiles etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	निरंक NIL
16	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो</p> <p>Additional details , if any.</p>	निरंक NIL

मुख्य अधिकारी
सहायी गोदावरी काशीर,
रायगढ़ (छ.ग.)

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम :— राज्य शहरी विकास अभिकरण, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप—योजनावार प्रेषित की जाए)	दीनदयाल अंत्योदय योजना — राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन।
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।	हाँ, यह केन्द्र प्रवर्तित योजना — भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है।
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	राज्य शहरी विकास अभिकरण, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मिशन प्रबंधन ईकाई तथा नगरीय निकाय नोडल विभाग।
5	योजना का उद्देश्य।	शहरी गरीब परिवार एवं उनके समतुल्य परिवारों का उत्थान।
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वयन की जा रही है। यदि नहीं तो तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वयन की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखण्डों के नाम दर्शाये जाए।	हाँ, योजनांतर्गत समस्त जिला मुख्यालयों को मिशन में सम्मिलित किया गया है, योजना में सम्मिलित नगरीय निकायों की सूची ध्वज 'अ' संलग्न।
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं। (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/महिला आदि)	शहरी गरीब (बी.पी.एल. श्रेणी एवं समतुल्य)।
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड यदि कोई हो तो	शहरी गरीब (बी.पी.एल. श्रेणी एवं समतुल्य)।


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 राज्य शहरी विकास अभिकरण
 छत्तीसगढ़ नया रायपुर

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम :-

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता है, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए) Name of the Scheme with sub-components, if any please give the following details sub-component wise if applicable.	प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है। Whether it is a government of India/State Government sponsored Scheme?	भारत सरकार
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme.	जिला पंचायत
5	योजना का उद्देश्य। Objective of the Scheme	ग्रामीण आवासहीन परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराना
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखण्डों के नाम दर्शाये जाए। Whether the Scheme is being implemented in all the district of the State ? If not, indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.	यह योजना राज्य के समस्त जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये हैं। (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/महिला आदि) Type of Beneficiaries covered under the Scheme (SF/MF/OF/SC/ST/Others/Men/ Women, etc.)	अजजा/अजा/अन्य/अल्पसंख्यक वर्ग के साथ ही निःशक्त ग्रामीण आवासहीन परिवार सम्मिलित है।
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो। Eligibility criteria for the beneficiary, if any.	भारत सरकार द्वारा योजनांतर्गत SECC-2011 के आकड़ों के अनुसार पात्र आवासहीन हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना है।
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर र दी जाती है। Whether assistance is provided on an individual basis/group basis or both.	व्यक्तिगत

<p>10 प्रदान किये जा रहे अनुदान विषय वितरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>दर (%) न्युनतम अधिकतम</p> <p>Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category-wise details Rate (%)</p> <p>Minimum</p> <p>Maximum</p> <p>GOI Contribution</p> <p>State Government Contribution</p>	<p>सामान्य जिलों के हितग्राहियों के लिए अनुदान राशि रु. 1.20 लाख एवं IAP प्रभावित जिलों के हितग्राहियों के लिए अनुदान राशि रु. 1.30 लाख</p>
<p>11 क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है। यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.</p>	<p>नहीं</p>
<p>12 किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनांतर्गत अपेक्षित हैं।</p> <p>Type of economic activities envisaged under the Scheme.</p>	<p>योजनांतर्गत आवास निर्माण किया जाता है, आर्थिक गतिविधियां अपेक्षित नहीं</p>
<p>13 क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हों तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/ group if so please give details.</p>	<p>अनुदान राशि की सीमा 1.20 लाख एवं 1.30 लाख निर्धारित है।</p>
<p>14 इस योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।</p> <p>Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.</p>	<p>अगर हितग्राही चाहे तो राशि रु. 70,000/- तक बैंक ऋण का प्रावधान है।</p>
<p>15 क्या योजनांतर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना के रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए हैं।</p> <p>Whether any project profiles, etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	<p>भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं दिशा निर्देश के अनुरूप क्रियान्वयन किया जाता है।</p>
<p>16 अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।</p> <p>Additional details if any</p>	<p>—</p>

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम – संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) Name of the Scheme with sub-components, if any please give the following details sub-component wise if applicable.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
2	क्या योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है। Whether it is a government of India/State Government sponsored Scheme ?	केन्द्र प्रवर्तित योजना (भारत सरकार)
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.	कृषि विभाग
4	जिला स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme.	उद्यानिकी विभाग
5	योजना का उद्देश्य। Objective of the Scheme.	उद्यानिकी फसलों का क्षेत्र विस्तार करना एवं कृषकों को कृषि/उद्यानिकी के क्षेत्र में बढ़ावा देना।
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना कियान्वित की जा रही है, उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखंडों के नाम दर्शाये जाए। Whether the Scheme is being implemented in all the district of the State ? If not, indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.	राज्य के 08 जिले—बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जांगीर, कांकेर, महासमुंद, नारायणपुर एवं सुकमा में कियान्वित की जा रही है।
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं। (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/महिला आदि) Type of Beneficiaries covered under the Scheme (SF/MF/OF/SC/ST/Others/Men/Women, etc.)	(लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/महिला आदि) सभी प्रकार के
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो Eligibility criteria for the beneficiary, if any.	—
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है। Whether assistance is provided on an individual basis/group basis or both.	व्यक्तिगत स्तर पर एवं समूह स्तर पर दोनों पर दी जाती है।

	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषय विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये।</p> <p>दर (%) न्यूनतम अधिकतम</p>	
10	<p>Details of Subsidy provide. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category-wise details Range (%)</p> <p>Minimum</p> <p>Maximum</p> <p>GOI Contribution</p> <p>State Government Contribution</p>	भारत सरकार : राज्य सरकार (60:40)
11	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है। यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.</p>	—
12	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनान्तर्गत अपेक्षित हैं।</p> <p>Type of economic activities envisaged under the Scheme.</p>	—
13	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हाँ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group if so please give details.</p>	—
14	<p>क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।</p> <p>Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.</p>	—
15	<p>क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए हैं।</p> <p>Whether any project profiles, etc, have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	हाँ
16	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।</p> <p>Additional details if any</p>	—

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम – संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) Name of the Scheme with sub-components, if any please give the following details sub-component wise if applicable.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
2	क्या योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है। Whether it is a government of India/State Government sponsored Scheme ?	केन्द्र प्रवर्तित योजना (भारत सरकार)
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.	कृषि विभाग
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme.	उद्यानिकी विभाग
5	योजना का उद्देश्य। Objective of the Scheme.	उद्यानिकी फसलों का क्षेत्र विस्तार करना एवं कृषकों को कृषि/उद्यानिकी के क्षेत्र में बढ़ावा देना।
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है, उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखंडों के नाम दर्शाये जाए। Whether the Scheme is being implemented in all the district of the State ? If not, indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.	राज्य के 08 जिले—बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जांजगीर, कांकेर, महासुंद, नारायणपुर एवं सुकमा में क्रियान्वित की जा रही है।
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं। (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/महिला आदि) Type of Beneficiaries covered under the Scheme (SF/MF/OF/SC/ST/Others/Men/Women, etc.)	(लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/महिला आदि) सभी प्रकार के
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो Eligibility criteria for the beneficiary, if any.	—
9	क्या राज्यालय व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है। Whether assistance is provided on an individual basis/group basis or both.	व्यक्तिगत स्तर पर एवं समूह स्तर पर दोनों पर दी जाती है।

	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषय विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये।</p> <p>दर (%) न्यूनतम अधिकतम</p>	
10	<p>Details of Subsidy provide. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category-wise details Rate (%)</p> <p>Minimum</p> <p>Maximum</p> <p>GOI Contribution</p> <p>State Government Contribution</p>	भारत सरकार : राज्य सरकार (60:40)
11	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है। यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.</p>	—
12	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनान्तर्गत अपेक्षित हैं।</p> <p>Type of economic activities envisaged under the Scheme.</p>	—
13	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हाँ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group if so please give details.</p>	—
14	<p>क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।</p> <p>Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.</p>	—
15	<p>क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए हैं।</p> <p>Whether any project profiles, etc, have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	हाँ
16	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।</p> <p>Additional details if any</p>	—

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम – संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) Name of the Scheme with sub-components, if any please give the following details sub-component wise if applicable.	नेशनल फूड सेक्योरिटी मिशन (आयल पॉम एवं टी. बी. ओस.)
2	क्या योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है। Whether it is a government of India/State Government sponsored Scheme ?	केन्द्र प्रवर्तित योजना (भारत सरकार)
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.	कृषि विभाग
4	जिला स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme.	उद्यानिकी विभाग
5	योजना का उद्देश्य। Objective of the Scheme.	आयल पॉम, ओलिव आयल एवं महुआ पौधों का क्षेत्र विस्तार
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहाँ पर योजना कियान्वित की जा रही है, उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखंडों के नाम दर्शाये जाए। Whether the Scheme is being implemented in all the district of the State ? If not, indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.	राज्य के 24 जिले—सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़, जाजगीर—चौपा, जगदलपुर, कोणडागाँव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दतेवाड़ा, सुकमा, दुर्ग, बालोद, कोरबा, महासभुद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, मुंगेली, गरियाबाद, रायपुर
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं। (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/महिला आदि) Type of Beneficiaries covered under the Scheme (SF/MF/OF/SC/ST/Others/Men/Women, etc.)	(लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/महिला आदि) सभी प्रकार के
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो Eligibility criteria for the beneficiary, if any.	—
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है। Whether assistance is provided on an individual basis/group basis or both.	व्यक्तिगत स्तर पर

	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषय विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्यक्ष प्रकार के हितग्राही के लिये अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये।</p> <p>दर (%) न्यूनतम अधिकतम</p>	
10	<p>Details of Subsidy provide. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category-wise details Rage (%)</p> <p>Minimum</p> <p>Maximum</p> <p>GOI Contribution</p> <p>State Government Contribution</p>	भारत सरकार : राज्य सरकार (60:40)
11	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है। यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.</p>	—
12	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनान्तर्गत अपेक्षित हैं।</p> <p>Type of economic activities envisaged under the Scheme.</p>	—
13	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हाँ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group if so please give details.</p>	—
14	<p>क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।</p> <p>Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.</p>	—
15	<p>क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए हैं।</p> <p>Whether any project profiles, etc, have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	—
16	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।</p> <p>Additional details if any</p>	—

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम – संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) Name of the Scheme with sub-components, if any please give the following details sub-component wise if applicable.	आम नवीन रोपण
2	क्या योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है। Whether it is a government of India/State Government sponsored Scheme ?	राज्य प्रवर्तित योजना
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.	कृषि विभाग
4	जिला स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme.	उद्यान विभाग
5	योजना का उद्देश्य। Objective of the Scheme.	आम का क्षेत्र विस्तार
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना कियान्वित की जा रही है, उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखंडों के नाम दर्शाये जाए। Whether the Scheme is being implemented in all the district of the State ? If not, indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.	सभी जिलों में कियान्वित की जा रही है
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं। (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/महिला आदि) Type of Beneficiaries covered under the Scheme (SF/MF/OF/SC/ST/Others/Men/Women, etc.)	सभी
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो Eligibility criteria for the beneficiary, if any.	न्यूनतम 0.25 है. एवं अधिकतम 2.00 है. भूमि पर
9	क्या सहायता व्यक्तिगत रूप पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह रूप पर दी जाती है। Whether assistance is provided on an individual basis/group basis or both.	व्यक्तिगत

	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषय विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये।</p> <p>दर (%) न्यूनतम अधिकतम</p>	
10	<p>Details of Subsidy provide. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category-wise details Range (%)</p> <p>Minimum</p> <p>Maximum</p> <p>GOI Contribution</p> <p>State Government Contribution</p>	<p>प्रति. हे. लागत राशि रु. 43750.00 पर 25 प्रतिशत् अनुदान राशि रु. 10938.00 5 वर्षों में किस्तों में देने का प्रावधान है।</p>
11	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है। यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.</p>	नहीं
12	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनान्तर्गत अपेक्षित हैं।</p> <p>Type of economic activities envisaged under the Scheme.</p>	
13	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हाँ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group if so please give details.</p>	—
14	<p>क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।</p> <p>Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.</p>	हाँ
15	<p>क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए हैं।</p> <p>Whether any project profiles, etc, have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	नहीं
16	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।</p> <p>Additional details if any</p>	—

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण
विभाग का नाम – संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) Name of the Scheme with sub-components, if any please give the following details sub-component wise if applicable.	सामुदायिक फैसिंग योजना
2	क्या योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है। Whether it is a government of India/State Government sponsored Scheme ?	राज्य प्रवर्तित योजना
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.	संचालक उद्यान
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme.	उप/सहायक संचालक उद्यान
5	योजना का उद्देश्य। Objective of the Scheme.	उद्यानिकी फसलों की सुरक्षा
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है, उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखंडों के नाम दर्शाये जाए। Whether the Scheme is being implemented in all the district of the State ? If not, indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.	सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत समिलित किये गये हैं। (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/महिला आदि) Type of Beneficiaries covered under the Scheme (SF/MF/OF/SC/ST/Others/Men/Women, etc.)	सभी वर्ग के लघु एवं सीमान्त कृषक
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो Eligibility criteria for the beneficiary, if any.	न्यूनतम 0.500 है. एवं अधिकतम 2.00 है। भूमि पर।
9	क्या राहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है। Whether assistance is provided on an individual basis/group basis or both.	समूह स्तर पर

	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषय विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये। दर (%) न्यूनतम अधिकतम	
10	Details of Subsidy provide. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category-wise details Rage (%) Minimum Maximum GOI Contribution State Government Contribution	50 प्रतिशत
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है। यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए। Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.	नहीं
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनान्तर्गत अपेक्षित हैं। Type of economic activities envisaged under the Scheme.	
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही/ समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हाँ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें। Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group if so please give details.	हितग्राहियों को न्यूनतम 0.500 हे. एवं अधिकतम 2.00 हे. हेतु राशि रु. 1.089 लाख का 50 प्रतिशत
14	क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है। Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.	नहीं
15	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए हैं। Whether any project profiles, etc, have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	नहीं
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो। Additional details if any	—

राज्य साख योजना 2018—19
STATE CREDIT PLAN 2018-19

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

**विभाग का नाम – छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम
रायपुर**

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागु होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप—योजनावार प्रेषित की जाए।)	अंत्योदय स्वरोजगार योजना (अनुसूचित जाति) आदिवासी स्वरोजगार योजना (अनुसूचित जनजाति)
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।	जी हॉ
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग	आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम रायपुर
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग	कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. जिला
5	योजना का उद्देश्य	स्वरोजगार द्वारा आर्थिक विकास योजना
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वयन की जा रही है। यदि नहीं तो यहाँ पर योजना क्रियान्वयन की जा रही है, उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए।	राज्य के सभी जिलों के लिए योजना संचालित।
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/ अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/महिला आदि)	गरीबी रेखा के नीचे आय सीमा (ठच्च) के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितग्राही।
8	हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो	गरीबी रेखा के नीचे
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।	व्यक्तिगत स्तर पर
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये।) दर () न्यूनतम अधिकतम	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, को ऋण का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 10,000 तक जो भी कम हो अनुदान राशि दिया जाता है।

11	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है। यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाये।	नहीं।
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधयों योजनान्तर्गत अपेक्षित है।	कृषि सम्बन्धित क्षेत्र/औद्योगिक क्षेत्र/सेवा क्षेत्र/परिवहन क्षेत्र एवं सभी क्षेत्रों में।
13.	क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है। यदि हाँ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।	व्यक्ति हितग्राही की ऋण सीमा रु. 50,000/- निर्धारित की गई है।
14.	क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधन है।	अंत्योदय स्वरोजगार योजना (अनुसूचित जाति) आदिवासी स्वरोजगार योजना (अनुसूचित जनजाति) बैंक प्रवर्तित योजनाएँ हैं।
15.	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिये गये हैं।	आवश्यक नहीं पूर्व पेर्टन पर है।
16.	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	निगम द्वारा उपरोक्त योजना बैंक के माध्यम से चलाई जाती है। इसके अतिरिक्त निगम स्वयं के द्वारा (राज्य से) एवं राष्ट्रीय निगम से वित्त पोषित योजनाओं में सीधे ऋण सहायता देने एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करता है। बैंक प्रवर्तित योजनाओं में निगम द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। राज्य सरकार के प्राधिकरण से वित्त पोषित शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना (जनजाति हेतु) तथा मिनीमाता स्वावलंबन योजना (अनुसूचित जाति हेतु) संचालित की जाती है, इसके अतिरिक्त 16 व्यवसायिक प्रशिक्षण लक्षित वर्ग हेतु आर्थिक उत्थान (विभिन्न व्यवसायों) के लिये संचालित किये जाते हैं।

राज्य साख योजना 2018—19

STATE CREDIT PLAN 2018-19

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम :- छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप—योजनावार प्रेषित करें। Name of the Scheme with Sub-components, if any please give the following details sub-component wise if applicable.	मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना Chief Minister Employment Generation Programme (CMEGP)
2	क्या यह योजना भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ? Whether it is a government of India/State Government sponsored Scheme \	राज्य शासन State Government .
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme	छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड C.G. Khadi and Village Industries Board.
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal office at the Distict level responsible for implementing the Scheme	छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के जिला अधिकारी District Officer of CG Khadi & Village Industries Board.
5	योजना का उद्देश्य। Objective of the Scheme	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना। Employment Generation in rural areas.
6	क्या यह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/ जिलों/विकासखंडों के नाम दर्शाये जाए। Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State? If not, indicate the regions/ districts/blocks where the Scheme is under implementation	राज्य के सभी जिलों में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। The scheme is being implemented in all the districts of the State.

7	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लघु कृषक / सीमांत कृषक / अन्य कृषक / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग / पुरुष / महिला आदि)</p> <p>Type of Beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/Others/Men/Women, etc.)</p>	<p>सभी प्रकार के हितग्राहियों को योजनान्तर्गत सम्मिलित किया जाता है।</p> <p>All types of Beneficiaries.</p>
8	<p>हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो</p> <p>Eligibility criteria for the beneficiary, if any</p>	<p>18 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम उम्र वाले तथा बैंक से डिफाल्टर न हो। साथ ही अन्य योजना से अनुदान का लाभ न लिया हो।</p> <p>18 years and under 45 years of age and is not a bank defaulter. He/her did not benefit from the scheme as well as other grants</p>
9	<p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर / समूह स्तर पर / दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर / दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है?</p> <p>Whether assistance is provided on an individual basis/ group basis or both.</p>	<p>व्यक्तिगत / समूह स्तर</p> <p>Both individual & group basis.</p>
10	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राहियों के लिये अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये) दर (%) न्यूनतम अधिकतम</p> <p>Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category-wise details Rate (%)</p> <p>Minimum</p> <p>Maximum</p> <p>GOI Contribution</p> <p>State Government Contribution</p>	<p>मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला हितग्राही को परियोजना लागत का 35% या अधिकतम रु. 105000/- अनुदान देय जो भी कम हो।</p> <p>CMEGP Plan Subsidy is provided to SC/ST/OBC Category to 35% subsidy of the project cost or Rs. 105000/- whichever is less.</p>
11	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है यदि हो तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जायें।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.</p>	<p>इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को परियोजना लागत का 5% मार्जिन मनी (स्वयं का अंशदान) लगाने का प्रावधान है।</p> <p>Self Subscribe (Margin money) is envisaged from SC/ST/OBC beneficiary to 5% of the project cost.</p>

12	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों योजनान्तर्गत अपेक्षित है ?</p> <p>Type of economic activities envisaged under the Scheme.</p>	<p>ऋण राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सहकारी बैंकों के माध्यम से तथा अनुदान बोर्ड द्वारा देय होता है।</p> <p>Loan amount is provided by National Bank & Cooperative Bank and subsidy is provided by the Department.</p>
13	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है। यदि हॉ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group. If so, please give details.</p>	<p>विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम 3.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 1.00 लाख रुपये तक सीमा निर्धारित है।</p> <p>Maximum limit is Manufacturing Sector - Rs. 3.00 lacs and Service Sector - Rs. 1.00 lacs.</p>
14	<p>क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है?</p> <p>Whether any bank Loan is envisaged under the Scheme.</p>	<p>हितग्राही को बैंक द्वारा परियोजना लागत अनुसार ऋण स्वीकृत किया जाता है।</p> <p>Loan is sanctioned to Beneficiaries as per Project Cost.</p>
15	<p>क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रूपरेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिये गये हैं?</p> <p>Whether any project profiles etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	<p>आवश्यकता नहीं है।</p> <p>Not Applicable.</p>
16	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।</p> <p>Additional details if any.</p>	<p>योजना का क्रियान्वयन बीस हजार से कम आबादी के ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जाता है।</p> <p>Scheme implemented on Rural Areas, Population below twenty thousand.</p>

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण
विभाग का नाम:- ग्रामोद्योग संचालनालय (रेषम प्रभाग) रायपुर

1	<p>योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप—योजनावार प्रेषित की जाए।)</p> <p>Name of the Scheme with sub-components, if any please give the following details sub-component wise if applicable</p>	<p>ग्रामीण रोजगार हितग्राही मूलक/ परिवार मूलक कार्यक्रम— योजनांतर्गत निम्नानुसार उप योजना संचालित है—</p> <p>टसर रेषम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम—</p> <p>अ) टसर धागाकरण योजना</p> <p>Rural Employment beneficiary scheme/Family oriented Programme. The following sub component schemes are going on—</p> <p>Tasar silk development & Extension Programme</p> <p>(A) Tasar reeling scheme.</p>
2	<p>क्या यह योजना भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है। Whether it is a government of India/State Government sponsored Scheme?</p>	<p>राज्य शासन एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना है। state Government & Government of India (Central sector scheme)</p>
3	<p>राज्य शासन के स्तर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।</p> <p>Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementation the Scheme.</p>	<p>ग्रामोद्योग विभाग के अधीनस्थ ग्रामोद्योग संचालनालय (रेषम प्रभाग)</p> <p>Directorate of Rural Industries (Sericulture Division)</p>
4	<p>जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।</p> <p>Nodal office at the District level responsible for implementation the Scheme.</p>	<p>ग्रामोद्योग संचालनालय (रेषम प्रभाग) के अधीनस्थ जिला रेषम अधिकारी</p> <p>District Sericulture Officer.</p>
5	<p>योजना का उद्देश्य Objective of the Scheme</p>	<p>संचालित योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे, गरीब परिवारों को तथा अन्य पिछड़े वर्ग</p>

		<p>को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराना। रेषम योजना से ग्रामीण क्षेत्र में विकसित कर नवीन रोजगार का सृजन करते हुए कच्चे रेषम की मांग की आपूर्ति हेतु सिल्क उत्पादन को बढ़ावा देना।</p> <p>The main Objectives are:- To provide gainful self-employment at local level to poor people and backward classes living in the Rural areas. To meet the increasing demand of raw silk in the state. To generate self employment under sericulture scheme the rural areas.</p>
6	<p>क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना कियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए।</p> <p>Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the state? If not, indicate the region/ districts/ blocks where the Scheme is under implementation.</p>	<p>टसर रेषम विकास एवं विस्तार की योजना राज्य के सभी जिलों में संचालित है।</p> <p>Tasar silk development & extension scheme is being implemented in all districts of the state.</p>
7	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लद्य कृषक/ सीमान्त कृषक/ अन्यकृषक/ अनुसूचितजाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ पुरुष/ महिला आदि)</p>	<p>योजनांतर्गत सीमांत/ भूमिहीन कृषक वर्ग के विषेष रूप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं मुख्य रूप से महिला वर्ग के हितग्राहियों को लाभांवित किया जाता है।</p> <p>Marginal/Landless especially SC/ST & OBC main woman beneficiaries are being benefited by these scheme.</p>

	Type of Beneficiaries covered under the Scheme. (SC/MF/OF/ SC/ST/Others/Men/Women, etc.)	
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो Eligibility criteria for the beneficiary, if any.	संचालित योजना हेतु मापदण्ड निम्नानुसार है— टसर धागाकरण— अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ सामान्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों हेतु। Parameters for the Beneficiaries-Tasar reeling:- For SC/ST/OBC beneficiaries.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/ समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/ दी जाती है। Whether assistance is provided on an individual/ group basis or both.	योजनांतर्गत सहायता व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है। Both individual & Group Basis.
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राषि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये) Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category wise details Rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution State Government Contribution	वर्तमान में ग्रामोद्योग संचालनालय रेषम प्रभाग द्वारा संचालित योजनाओं में किसी भी प्रकार का अनुदान का प्रावधान नहीं है। No provision has been made to provide subsidy in the sericulture sector of Rural industries.
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान है। यदि हो तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए। Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof may please be provided for	ग्रामोद्योग संचालनालय रेशम प्रभाग द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं में किसी प्रकार का अनुदान का प्रावधान नहीं होने से हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान नहीं है। टसर धागाकरण— टसर धागाकरण रीलिंग एवं स्पीनिंग सह ट्रिविस्टिंग मषीन इकाई लागत राषि 28000/-, मोटराईज्ड सह पदचलित स्पीनिंग मषीन इकाई लागत राषि 7000/-, बुनियाद रीलिंग मषीन इकाई लागत राषि 11000/- एवं रीलिंग मषीन इकाई लागत राषि 21000/- प्रस्तावित है। बैंक ऋण के माध्यम से हितग्राही द्वारा निवेष किया जावेगा। There is no provision of margin money in this scheme. Tasar Reeling:- Motorised Reeling cum twisting Machine

	different categories of beneficiaries.	unit cost Rs. 28000/-, Motorised cum pedal operated spinning Machine unit cost Rs. 7000/-, Buniyaad Reeling Machine unit cost Rs. 11000/- and Re- Reeling Machines are Rs 21000/- amount burned by beneficiaries through bank loan.
1 2	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों योजनांतर्गत अपेक्षित है। Type of economic activities envisaged under the Scheme.	टसर धागाकरण (रीलिंग एवं स्पीनिंग एवं बुनियाद रीलिंग मषीन) हेतु बैंक ऋण राषि रु0 67000/- प्रति इकाई। Bank loan amount for Tasar reeling & spinning is Rs 67000/- per unit approved by NABARD.
1 3	क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है। यदि हॉ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें। Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group. If so, please give details.	उपरोक्तानुसार. As above.
1 4	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है। Whether any bank Loan is envisaged under the Scheme.	हॉ, योजना में बैंक से ही ऋण का प्रावधान है। Yes, Provision of Bank Loan has been made in the scheme.
1 5	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिये गये	नहीं No.

	है।	
	Whether any project profiles, etc. Have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	
1 6	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो। Additional details if any.	निरंक Nil

अपर संचालक रेषम

राज्य साख योजना वर्ष 2018-19
STATE CREDIT PLAN 2018-19
शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण
विभाग का नामः— उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर

क्रमांक	विवरण	
1.	योजना का नाम उप योजनाओं के नाम सहित (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए) Name of the scheme with sub-Components, if any.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम Prime Minister's Employment Generation Programme
2.	क्या यह योजना भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है । Whether it is a Government of India/State Government Sponsored Scheme .	भारत सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई द्वारा प्रवर्तित है । Yes, Government of India KVIC Sponsored Scheme.
3.	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग NodeI Department/directorate at the State level responsible for Sponsible for implementing the Scheme .	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग Khadi & Village Industries Commision.
4.	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग NodeI office at the District level Responsible for Implementing the Scheme.	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग Khadi & Village Industries Commision. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र District Trade & Industries Centre खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड Khadi Gramoudhyog Board C.G.
5.	योजना का उद्देश्य Objective of Scheme .	नये स्वरोजगार उद्यमों/ परियोजनाओं /सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देष के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना । To generate employment opportunities in rural as

		well as urban areas of the country through setting up new self employment ventures/projects/micro enterprises.
6.	<p>क्या यह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की रही है । यदि नहीं तो कहां पर योजना कियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाये ।</p> <p>Whether the Scheme is being implemented in all the district of the state? If no indicate the resion/district/blocks where the scheme is under implementation .</p>	<p>छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में योजना कियान्वित की जा रही है ।</p> <p>The scheme is being implemented in all District of C.G. State.</p>
7.	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये हैं । (लघु कृषक/सीमांत कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ावर्ग/पुरुष/महिला आदि)</p> <p>Type of beneficiaries covered under the scheme (SF/MF/OF/SC/ST/Other/Men/Women etc.)</p>	<p>सभी वर्ग सामान्य, अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग, विकलांग वर्ग के हितग्राही सम्मिलित हैं ।</p> <p>i. e.</p> <p>General/sc/st/obc/women/physically Handicapped etc. are covered under the scheme.</p>
8.	<p>हितग्राहियों के लिये पात्रता मापदण्ड, यदि को हो तो</p> <p>Eligibility criteria for the beneficiaries, if any</p>	<p>1. उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।</p> <p>2. विनिर्माण के क्षेत्र से संबंधित रु. 10.00 लाख से अधिक के परियोजनाओं तथा सेवा / व्यवसाय क्षेत्र में रु. 5.00 लाख से अधिक परियोजनाओं हेतु हितग्राहियों को कम से कम शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण हो ।</p> <p>1- Age of beneficiaries should be above 18 year.</p> <p>2- For setting up of project casting above Rs. 10.00 lakhs in the manufacturing sector and above Rs. 5.00 lakhs in the business/ Service</p>

		sector, the beneficiaries should possess at least VIII Standard pass education qualification
9.	<p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर / समूह स्तर पर / दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है ।</p> <p>Whether assistance is provided on anniduiual basis/group basis or both .</p>	दोनों Both
10.	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राषि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जावे)</p> <p>Details of subsidy provided, if the subsidy is provided on the basis of category wise details rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution State Government Contribution</p>	सामान्य वर्ग— शहरी 15 : , ग्रामीण 25 : , विषेष वर्ग— अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं पिछड़ा वर्ग, महिला आदि । शहरी 25 : ग्रामीण 35 : For General- urban sector- 15% rural sector- 25% For Special categories (SC/ST/OBC/Min./ Women/PH etc.) Urban sector- 25% Rural sector- 35%
11.	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान है । यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाये ।</p> <p>Whether any Margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided if so, details thereof may please be Provided for different categories of beneficiaries.</p>	सामान्य वर्ग—10 : विषेष वर्ग— अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं पिछड़ा वर्ग, महिला आदि 5 : General category 10% Special category (SC/ ST/OBC/Women/etc.) 5%
12.	<p>किस प्रकार के आर्थिक गतिविधियां योजना अन्तर्गत अपेक्षित हैं ।</p> <p>Type of economic activities envisaged under the scheme.</p>	उद्योग / सेवा क्षेत्र Industries/Service sector
13.	<p>कृपया व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें ।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group If so please give details.</p>	उद्योग हेतु अधिकतम रु. 25 लाख एवं सेवा / व्यवसाय हेतु अधिकतम रु. 10 लाख रुपये For Industries Maximum limit up to Rs. 25.00 lakhs For Service sector Maximum limit up to

		Rs. 10.00 lakhs
14.	क्या योजना अन्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है। Whether any bank loan is envisaged under the scheme	हां Yes
15.	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिये गये हैं। Whether any projects profile etc. have been prepared by the State Government for the use of beneficiaries .	नहीं NO
16.	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो। Additional details if any.	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार मुम्बई से वित्तीय वर्ष 2018–19 में लक्ष्य प्राप्ति उपरांत जिलों को आंबटित किये जायेंगे।

STATE CREDIT PLAN 2018-2019
शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण – राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
विभाग का नाम :— पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (01.04.2013 से प्रभावशील)

1	<p>योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित । (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए)</p> <p>Name of the Scheme with sub-components, if any (please give the following details sub-component-wise, if applicable)</p>	<p>राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (01.04.2013 से प्रभावशील) State rural Livelihood mission (w.e.f. 01.04.2013)</p>
2	<p>क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ?</p> <p>Whether it is a Government of India/State Government sponsored Scheme ?</p>	<p>भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना है Government of India Sponsored Scheme.</p>
3	<p>राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग</p> <p>Nodal Department/Directorate at the State Government level responsible for implementing the Scheme</p>	<p>पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग Panchayat & Rural Development Department</p>
4	<p>जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग</p> <p>Nodal Office at the District level responsible for implementing the Scheme</p>	<p>समस्त जिला पंचायतें All Zila Panchayat</p>
5	<p>योजना का उद्देश्य</p> <p>Objective of the Scheme</p>	<p>ग्रामीण गरीब परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें गरीबी से ऊपर उठाना ।</p> <p>To provide economic assistance to rural poor families so as to enable them to tackle poverty issues.</p>
6	<p>क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है । यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है, उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए।</p> <p>Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State? If not, kindly indicate the regions /districts/ blocks where the Scheme is under implementation.</p>	<p>जी हॉ । राज्य की सभी 27 जिला पंचायतों के 146 विकासखंड में क्रियान्वित की जा रही है ।</p> <p>Yes, Implementing in 27 District Panchayat and all 146 Blocks of the State.</p>
7	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लघु कृषक/सीमांनत कृषक/अन्य कृषक/ अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/ पुरुष/ महिला आदि)</p> <p>Type of Beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/ SC/ST/Other/Men/Women, etc.)</p>	<p>इसमें पी.आई.पी./ SECC DATA के अनुसार चयनित परिवारों को लाभान्वित किया जाता है ।</p> <p>As per the 'Poorest of the Poor' families identified by the community/SECC DATA.</p>
8	<p>हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो Eligibility Criteria for the beneficiary, if any</p>	<p>समस्त ग्रामीण गरीब महिलाएं।</p> <p>All Rural Poor women.</p>

क्रमशः

9	<p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती हैं।</p> <p>Whether assistance is provided on an individual basis/group basis or both.</p>	<p>केवल समूह स्तर पर</p> <p>Assistance would be provided on group basis.</p>
10	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिए अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए) दर (प्रतिशत) न्यूनतम, अधिकतम</p> <p>Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category-wise details Rate (%)</p> <p>Minimum, Maximum, Govt Contribution, State Government Contribution</p>	<p>वर्ग –1 जिले में ब्याज अनुदान, ऋणों का तुरंत भुगतान करने पर प्रदान किया जावेगा। यह 7 प्रतिशत तथा 3 प्रतिशत बैंचमार्क के अंतर का अनुदान रहेगा।</p> <p>वर्ग –2 जिले में ब्याज अनुदान, ऋणों का तुरंत भुगतान करने पर प्रदान किया जावेगा। यह बैंक ऋण पी.एल.आर. (अधिकतम 12.5% तक) तथा 3 प्रतिशत बैंचमार्क के अंतर का अनुदान रहेगा।</p> <p>In category-1 district Interest subsidy would be provided on the basis of prompt repayment. There will be a benchmark of 3% The difference between the 7% Bank lending rate and 3%, would be interest subsidy.</p> <p>in category-2 district Interest subsidy would be provided on the basis of prompt repayment. There will be a benchmark of 3% The difference between the PLR (Maximum up to 12.5%) of Bank and 3%, would be interest subsidy.</p>
	भारत सरकार का अंशदान Government of India Share.	60 प्रतिशत 60%
	राज्य सरकार का अंशदान State Government Share.	40 प्रतिशत 40%
11	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है। यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.</p>	<p>निरंक</p> <p>Nil</p>
12	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनान्तर्गत अपेक्षित हैं।</p> <p>Type of economic activities envisaged under the Scheme.</p>	<p>प्राइमरी सेक्टर, सेकेण्डरी सेक्टर एवं टर्सरी सेक्टर की उस विकास खण्ड हेतु चयनित कोई भी गतिविधि हेतु स्व— सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।</p> <p>Any economic activities identified by the SHG under primary, secondary and tertiary sector can be provided.</p>

क्रमशः....

//3//

13	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower /group. If so, please give details.</p>	<p>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। परियोजना की कुल लागत विनियोजन की आवश्यकतानुसार निर्धारित होती है।</p> <p>No, ceiling has been fixed on financial outlay in National Rural Livelihoods Mission. Total cost of the project depends upon investment on project.</p>
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14	<p>क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है ।</p> <p>Whether any bank Loan is envisaged under the Scheme.</p>	<p>जी हॉ ।</p> <p>Yes.</p>
15	<p>क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिए गए हैं।</p> <p>Whether any project profiles, etc. have been prepared by the State Government for the use of beneficiaries.</p>	<p>जी हॉ इसके अंतर्गत समूह द्वारा स्वयं अपना मार्फ़िको केडिट प्लान बनाया जावेगा।</p> <p>Yes under this scheme the group will prepare micro credit plan on its own.</p>
16	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो ।</p> <p>Additional details, if any.</p>	<p>निरंक</p> <p>Nil</p>

राज्य साख योजना 2017–18

STATE CREDIT PLAN 2017-18

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम :— महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ महिला कोष

<p>1 योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित । (यदि योजना लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए ।)</p> <p>Name of the scheme with sub-Components, if any.</p>	<p>1. महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण योजना :—संचालन छ.ग.महिला कोष के माध्यम से किया जा रहा है ।</p> <p>2. सक्षम योजना :— विधवा, तलाकशुदा तथा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलायें ।</p> <p>2. Loan scheme for Widow, Divorcee, Unmarried Women-aged between 35 to 40 years which is conducted through CGMahila Kosh.</p>
<p>2 क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित हैं ।</p> <p>Whether is a Government of India/State Government sponsored Scheme ?</p>	<p>राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ महिला कोष को उपलब्ध कराई गई राशि से</p> <p>Through the fund made available to the C.G. Mahila kosh by State Government.</p>
<p>3 राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग</p> <p>Nodal department/directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.</p>	<p>महिला एवं बाल विकास विभाग(छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा संचालन)</p> <p>Women & Child Development Department (conducted through CG Mahila Kosh)</p>
<p>4 जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरीदायी नोडल विभाग</p> <p>Nodal department/directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.</p>	<p>जिला अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पदेन जिला प्रबंधक छ.ग.महिला कोष</p> <p>District Officer Women & Child Development Department ex-officio District Manager, CG mahila kosh</p>
<p>5 योजना का उद्देश्य</p> <p>Objective of the Scheme</p>	<p>1. महिला स्व—सहायता समूहों के लिये ऋण योजना अंतर्गत — महिला स्व सहायता समूहों का सुदृढ़ीकरण एवं वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराकर महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना</p> <p>1. Under the loan scheme for Women SHG - Empowerment of Women SHGs & provide financial support for making women economically empowered.</p> <p>2. सक्षम योजना — ऐसी महिलायें जो जीवन—यापन में कठिनाई अनुभव कर रही हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर सम्मानजनक, स्वावलंबी व समृद्ध जीवन के अवसर उपलब्ध कराना ।</p> <p>2. Sakshama Yojna – To provide the independent and prosperous life and living opportunity to the women who</p>

		are living in disastrous condition
6	<p>क्या यह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है । यदि नहीं तो जहाँ पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन <u>क्षेत्रों/जिलों/ विकासखण्डों</u> के नाम दर्शाये जाए ।</p> <p>Whether the scheme is being implemented in all the districts of the State? If not indicate the regions/districts/ blocks where the Scheme is under implementation</p>	<p>समस्त 27 जिले</p> <p>All 27 Districts.</p>
7	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लघु कृषक/सीमांत कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/महिला आदि)</p> <p>Type of beneficiaries covered under the Scheme. SF/MF/OF/SC/ST/Other/Men Women etc.)</p>	<p>1.ऋण योजना – महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु ऋण योजना अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूह ।</p> <p>1. Rine Yojna - Women SHGs under the loan scheme for SHGs.</p> <p>(i) महिला स्वयं सहायता समूह हेतु ऋण योजना के अंतर्गत यौन उत्पीड़ित महिलाओं एवं एच.आई.ही पीड़ित महिलाओं हेतु ऋण सुविधा</p> <p>(ii) Women SHGs under the loan scheme for Women involved in Prostitution and Women suffering from HIV Positive.</p> <p>2. सक्षम योजना – ऐसी महिलायें जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा जो तलाकशुदा है अथवा जो 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलायें हैं ।</p> <p>2. Sakshama Yojna - Widow, Divorcee, Unmarried Women-aged between 35 to 45 years</p>
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदंड, यदि कोई हो तो	<p>ए महिला स्व सहायता समूहों के लिये ऋण योजना :— योजना अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी महिला स्वयं सहायता समूह सहायता ऋण के लिए पात्र होंगे ।</p> <p>1. Loan Scheme for Women SHGs - Under this scheme rural and urban women SHG are eligible for loan.</p> <p>2. ऋण प्राप्ति के लिए केवल "A" समूह के आवेदन ही विचार योग्य होंगे ।</p> <p>For taking loan application of only "A" grade group will be considered.</p> <p>3. स्वयं सहायता समूह गठन के एक वर्ष बाद ही ऋण आवेदन के लिये पात्र होंगे ।</p> <p>Self help groups will be eligible for Loan</p>

	<p>application only after one year of formation.</p> <p>4. स्वयं सहायता समूह पूर्व में प्राप्त ऋण की पूर्ण अदायगी के एक माह पश्चात पुनः कोष से ऋण आवेदन हेतु पात्र होंगे । इसके लिए उनको पूर्व में दी गयी ऋण राशि की सभी किश्तों की वापसी निर्धारित समय अवधि में किया जाना आवश्यक होगा ।</p> <p>Self help group after payment of previous loan will again be eligible to apply for loan from kosh. For this it is necessary that they should have paid all the installments of loan taken earlier within the prescribed time.</p>
	<p>5. ऋण स्वीकृति के समय महिला स्वयं सहायता समूहों की सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता एवं सामाजिक क्रियाकलापों में भागीदारी का भी ध्यान रखा जायेगा । उदारहण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण एवं अन्य सामाजिक मुददे ।</p> <p>At the time of sanction of loan participation in social activities of self help group will be kept in mind. for eg. education, Health, Nutrition, Environment and other social issues.</p> <p>6. स्वैच्छिक संगठन फर्मस् एवं सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत होने चाहिए तथा पंजीकृत हुए तीन वर्ष पूर्ण हो चुके हों ।</p> <p>NGO should be registered under firms and societies registration Act and registration should have completed 3 years.</p> <p>7. स्वैच्छिक संगठन महिला एवं बाल विकास विभाग से मान्यता प्राप्त होना चाहिए ।</p> <p>NGO should be recognized by Women & Child Development Department.</p> <p>8. स्वैच्छिक संगठन महिला स्वयं सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण के कार्य में संलग्न हो तथा इस क्षेत्र में कार्य का पर्याप्त अनुभव रखते हो इस हेतु कम से कम 25 नवीन स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं सशक्तिकरण का अनुभव होना आवश्यक होगा । पुराने कम से कम 25 स्वयं-सहायता समूहों को नये सिरे से संगठित करने व एक वर्ष तक संचालन करने में सहायता उपलब्ध कराने वाले स्वैच्छिक संगठन भी पात्र होंगे ।</p> <p>NGO's should be attached with formation of Women SHG & empowerment and should have sufficient experience in this field. For this they should have experience of formation of at least 25 new SHG and their empowerment. Those NGOs who are working for re-organization of 25 old</p>

	<p>SHGs and have helped to run for at least one year will also be eligible.</p> <p>9. स्वैच्छिक संगठन के द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह योजना अंतर्गत निर्धारित मापदंड को पूर्ण करते हों।</p> <p>Self Help group, which was constituted by NGO, should fulfill the prescribed norms.</p> <p>10. स्वैच्छिक संगठन ऋण योजना में प्रावधानित नियमों, शर्तों एवं प्रक्रियाओं को पालन करने के लिये सहमत हो तथा उक्त आशय का अनुबंध करने को तैयार हों।</p>
	<p>NGO should agree to follow the prescribed rules, conditions and procedure of loan scheme and should agree to sign agreement for the above said procedure.</p> <p>11. स्वैच्छिक संगठन एक समय में 5 स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। यदि इनमें से किसी समूह द्वारा ऋण अदायगी पूर्ण कर ली जाती है तो वे पुनः 5 समूहों की निर्धारित सीमा के अंदर आवेदन कर सकेंगे। यदि कोई स्वैच्छिक संगठन 5 से अधिक स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो, पात्रता संबंधी सभी शर्त पूर्ण होने की स्थिति में जिला ऋण समिति अनुशंसा सहित ऐसे आवेदन पत्र स्वीकृति संबंधी कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ महिला कोष के शासी बोर्ड को प्रेषित करगी जो इन पर निर्णय लेने में सक्षम होगा।</p> <p>NGO can apply for loan application for 5 SHGs at a time. If any of the Group pays the loan amount then they can again apply for 5 SHG in prescribed limit. If any NGO applies for more than 5 SHG loan then in the condition of fulfilling all the eligibility criteria District Loan Committee will forward the loan application with their recommendation to Executive Board of Chhattisgarh Mahila Kosh who will take decision in this matter.</p> <p>ब. सक्षम योजना :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसी महिलाएँ, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हैं अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की ऐसी महिलायें जो अविवाहित हैं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलायें। 2. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार न होने पर निम्न मध्यमवर्गीय आय की ऐसे हितग्राहियों को भी लाभांवित किया जा सकेगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 70 हजार रुपये प्रतिवर्ष से कम हो तथा परिवार में

	<p>महिला की आयु 18 से 45 वर्ष हो</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. पति की मृत्यु होने अथवा कानूनी रूप से तलाकशुदा होने की दशा में हितग्राही की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिये । 4. हितग्राही छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी होनी चाहिये । 5. ऐसी महिला जिसने पति की मृत्यु उपरांत पुनः विवाह किया हो उसे इस योजना के अंतर्गत पात्रता नहीं होगी । 6. योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति के हितग्राहियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेगी । प्रथम प्राथमिकता के लिए अधिक हितग्राही होने पर उनमें से न्यूनतम आयु सीमा के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी ।
9	<p>B. Sakshama Yojna</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.The women living below poverty line who has lost their Husband, Unmarried Women who are aged between 35 for 45 years or legally divorcee 2. If the above beneficiary does belong to BPL family then the monthly Income of the family shall be below then 70000 per year and the Women in the family aged between 18 to 45 years 3. The women who has lost their husband or who are legally divorcee shall be aged between 18 to 50 years 4. The bens must be the original resident of Chhattisgarh state 5. The women who has lost their husband and they have remarried again with someone shell not be covered under the scheme. 6. Bens belong to SC/ST category shall be given the topmost priority. The first priority will be given on the minimum age basis. <p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है Whether assistance is provided on an individual basis/individual and group basis</p> <p>1.महिला स्व-सहायता समूह की ऋण योजनान्तर्गत – समूह स्तर पर</p> <p>2.महिला स्व-सहायता की ऋण योजना के अंतर्गत यौन उत्पीड़ित महिलाओं तथा एच. आई.व्ही संकमित महिलाओं के लिए ऋण योजना – व्यक्तिगत स्तर पर, समूह स्तर</p>

		<p>पर</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Under the loan scheme - Group level. 2. Under Women SHGs loan scheme for Women involved in Prostitution and Women suffering from HIV Positive. <p>Lone Scheme - For individual and for Groups</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. सक्षम योजना अंतर्गत —व्यक्तिगत स्तर पर 2. Sakshama Yojna – Individual level
10	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राहियों के लिए अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जायें ।)</p> <p>Details of subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of category of beneficiary, please give category wise details rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution State Government contribution.</p>	<p>1. महिला स्व—सहायता समूह की ऋण योजनांतर्गत — अनुदान नहीं ऋण प्रदान किया जाता है । 3 प्रतिशत साधारण ब्याज पर व्यक्तिगत स्तर पर रूपये 10,000/- तथा समूह स्तर पर रूपये 1,00,000/- कलेक्टर द्वारा स्वीकृत करने के उपरांत यौन उत्पीड़ित महिलाओं को तथा एच.आई.व्ही. संकमित महिलाओं को प्रदान किया जाता है । 3 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर समूह को एवं 5.5 प्रतिशत ब्याज दर पर एन.जी.ओ. को ऋण प्रदान किया जाता है । (शासी बोर्ड बैठक में निर्णय हेतु प्रस्ताव रखा जाना है ।) प्रथम बार में 50000/- रूपये तक तथा इसके निश्चित समयावधि में भुगतान करने पर समूह को दूसरी बार में 200000/-रूपये तक ऋण प्रदान किया जा सकेगा ।</p> <p>1. Under the loan scheme no Subsidy but only loan is provided. The rate of interest is 3% to individually up to 10,000/- and for Groups up to 1,00,000/- to Women involved in Prostitution and Women suffering from HIV Positive after passing by collector. The rate of interest is 3% to SHG group & 5.5% to NGO. (Decision is Pendin) First time loan is provided for up to Rs 50000/- & if the loan is repaid in the prescribed time limit a loan of Rs 200000/- can be povided to Groups for second time.</p> <p>2. सक्षम योजनांतर्गत — कोई अनुदान नहीं दिया जाता है अपितु स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु रूपये 1 लाख तक ऋण प्रदाय किया जाता है ।</p> <p>2. Under the Sakshama Yojna no Subsidy but only loan is provided to the individual. The rate of interest is 6.5%. The loan amount is up to 1 lakhs per</p>

		bens. The loan is provided in the multiplication of Rs 20000 as per demand. The repayment period is 5 years.
11	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है । यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए ।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided if so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.</p>	<p>नहीं ।</p> <p>No margin money is required.</p>
12	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ योजनांतर्गत अपेक्षित हैं ।</p> <p>Type of economic activities envisaged under the scheme.</p>	<p>1. महिला स्व-सहायता समूह हेतु ऋण योजनांतर्गत – लघु व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, लघु एवं कुटीर उद्योग आदि कोई भी आर्थिक गतिविधि जो समूह चाहता है ।</p> <p>1. Under the loan scheme for women self help groups :- Small Business, Agriculture, Animal Husbandry, Fisheries, Small Scale Industries etc. any economic activity which SHG chooses.</p> <p>2. सक्षम योजना अंतर्गत – स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु कोई भी गतिविधि ।</p> <p>2. Sakshama Yojna – Any activity to start their own business.</p>
13	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें ।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group. If so please give details.</p>	<p>1. महिला स्व सहायता समूह हेतु ऋण योजनांतर्गत :-</p> <p>(1) 50000/- तक ऋण प्रथम बार (2) 200000/- तक ऋण द्वितीय बार</p> <p>(3) महिला स्व-सहायता की ऋण योजना के अंतर्गत यौन उत्पीड़ित महिलाओं तथा एच.आई.व्ही संकमित महिलाओं के लिए</p> <p>(i) रुपये 10,000/- व्यक्तिगत स्तर पर (ii) रुपये 1,00,000/- समूह स्तर पर</p> <p>1. Under the loan scheme for women self help groups :-</p> <p>(1) 50000/- Loan first time. (2) 200000/- Loan second time.</p> <p>(3) Under Women SHGs loan scheme for Women involved in Prostitution and Women suffering from HIV Positive.</p> <p>(i) 10,000/- Loan for individual</p>

		<p>(ii) 1,00,000/- Groups</p> <p>2. सक्षम योजना अंतर्गत – कोष से प्रदाय किये जाने वाले ऋण की सीमा 1 लाख रुपये लगाई गई है। आवेदक अपनी राशि अतिरिक्त रूप से लगा सकते हैं।</p> <p>2. Sakshama Yojna – The maximum limit of the loan provided under this scheme through kosh is Rs 1 lakhs per bens. The bens shall add their own capital for the same up to any extend.</p>
14	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है। Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.	नहीं। No
15	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल) तैयार कर लिये गये हैं। Whether any project profiles etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	योजना तैयार कर लागू की गई है। Scheme has been formulated.
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो। Additional details, if any	- The copy of the both the scheme are enclosed

राज्य साख योजना 2018&19

STATE CREDIT PLAN 2018-19

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम :— कृषि संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर।

1-	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। यदि कोई हो तो, (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी योजनावार प्रेषित की जाए।) Name of the Scheme with sub-components (if any please give the following details sub-component wise if applicable.	राज्य पोषित कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना State Sponsored Krishi Yantra Seva kendra ki sthapana.
2-	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ? Whether it is a Government of India/State Government sponsored scheme ?	राज्य पोषित योजना State sposored sheme.
3-	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.	कृषि संचालनालय छ.ग. रायपुर। Directorate of Agriculture CG Raipur.
4-	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal Office at the district level responsible for implementing Scheme.	कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी विभाग Agriculture Engineer, Department of Agriculture (Engineering)
5-	योजना का उद्देश्य। Objective of the Scheme.	<ul style="list-style-type: none"> (1) राज्य में उन्नत कृषि मशीनों/यंत्रों से कृषि कार्य को प्रोत्साहन। (2) आर्थिक रूप से पिछड़े कृषक जो प्रत्येक कृषि कार्यमाला हेतु पृथक मशीन/यंत्र क्रय करने में सक्षम नहीं हैं उन्हें किराये पर उन्नत कृषि मशीनें/यंत्र उपलब्ध कराना। (3) निजी क्षेत्र में कृषि उद्यमिता को बढ़ावा। (4) राज्य में कृषि यांत्रिकीकरण के स्तर में वृद्धि के साथ श्रम एवं समय की बचत। (5) फसल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि से कृषकों के आर्थिक स्तर में सुधार। <ul style="list-style-type: none"> (1) To promote agriculture work with Agril. machine/ implements. (2) Those farmers who can not afford to buy different agril. machine/implements can be provided on hire basis. (3) To promote private sector on agril. entrepreneurship (4) To improve farm mechanization in state and to save time and labour. (5) To increase crop production and improve economic status of farmers.
6-	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए। Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State ? If not, kindly indicate	राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित। All Districts of the State.

	the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.	
7-	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लघु कृषक/सीमांत कृषक/अन्य कृषक/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष महिला आदि)</p> <p>Type of beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/ Others/Men/ Women, etc.)</p>	<p>सभी वर्गों के हितग्राहियों के लिये</p> <p>All type of beneficiaries</p>
8-	<p>हितग्राहीयों के लिए पात्रता मानदण्ड, आदि कोई हो तो Eligible criteria for the beneficiary if any.</p>	<p>निजी क्षेत्र के इच्छुक कृषि उद्यमियों/स्व सहायता समूहों (कम से कम पांच सदस्यीय)/पंजीकृत सहकारी समितियों, को-आपरेटिव सोसायटी (प्राथमिक कृषि साख समिति) तथा विपणन समिति) कृषि स्नातक/कृषि इंजिनियरिंग।</p> <p>Interested private sector agricultural entrepreneurs / self-help groups (at least five members) / registered cooperatives, Co-operative Society (Primary Agricultural Credit Society) and the Marketing Committee) agricultural graduate/ agricultural engineering.</p>
9-	<p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।</p> <p>Whether assistance is provided on an individual basis/ group basis/both individual and group basis.</p>	<p>व्यक्तिगत/समूह दोनों के रूप में दी जाती है।</p> <p>Assistance is provided on individual basis or in group.</p>
10 -	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विशेष विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिए अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>दर (प्रतिशत) न्यूनतम अधिकतम</p> <p>Details of subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary please give category wise details Rate (%)</p> <p>Minimum, Maximum</p> <p>GOI Contribution</p> <p>State Government Contribution</p>	<p>सामान्य एवं उपयोजना क्षेत्र में ₹ 25.00 लाख के कृषि उपकरण एवं मशीन क्रय पर राशि ₹ 10.00 लाख का अनुदान तथा उपयोजना क्षेत्र में ₹ 15.00 लाख के कृषि उपकरण एवं मशीन क्रय पर ₹ 7.50 लाख का अनुदान क्रेडिट लिंक्ड बैंक इंडेड सबसीडी के रूप में दिये जाने का प्रावधान है साथ ही स्ट्रा रीपर/स्ट्रा बेलर/मल्चर में से कोई एक यंत्र क्रय पर ₹. 0.25 लाख एवं हैप्पी सीडर पर ₹. 0.25 लाख क्रय करने वाले सेवा केन्द्रों को ₹ 0.50 लाख का अतिरिक्त अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।</p> <p>In general and Sub area on purchasing of Machine of Rs. 25.00 lakhs, Rs. 10.00 lakhs is subsidy given and Sub area on purchase of machine Rs. 15.00 lakhs Rs. 7.50 lakhs is subsidy provided as credit in linked back ended Subsidy also on purchasing on purchasing any of these implements/Straw reaper/Straw Bailer/multcher subsidy is provided Rs. 0.25 and on purchasing Happy seeder Rs. 0.25 lakh this way Toal Rs. 0.50/- is provided additional subsidy.</p>
11 -	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देय का प्रावधान है।</p> <p>यदि हॉ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary other than subsidy being provided. If so, details thereof may please be provided for different categories of the beneficiaries.</p>	<p>बैंक की नीति अनुसार</p> <p>As per bank policy.</p>
12 -	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनांतर्गत अपेक्षित हैं।</p> <p>Type of economic activities envisaged under the Scheme.</p>	<p>कोई नहीं</p> <p>Nothing.</p>
13 -	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हॉ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/ group if</p>	<p>सामान्य एवं उपयोजना क्षेत्र में ₹ 25.00 लाख के कृषि उपकरण एवं मशीन क्रय पर राशि ₹ 10.00 लाख का अनुदान तथा उपयोजना क्षेत्र में ₹ 15.00 लाख के कृषि उपकरण एवं मशीन क्रय पर ₹ 7.50 लाख का अनुदान क्रेडिट लिंक्ड बैंक इंडेड सबसीडी के रूप में दिये जाने का प्रावधान है साथ ही स्ट्रा रीपर/स्ट्रा बेलर/मल्चर में से कोई एक यंत्र क्रय पर ₹. 0.25 लाख एवं हैप्पी सीडर पर ₹. 0.</p>

	so. please give details.	25 लाख क्रय करने वाले सेवा केन्द्रों को रु 0.50 लाख का अतिरिक्त अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। In general and Sub area on purchasing of Machine of Rs. 25.00 lakhs, Rs. 10.00 lakhs is subsidy given and Sub area on purchase of machine Rs. 15.00 lakhs Rs. 7.50 lakhs is subsidy provided as credit in linked back ended Subsidy also on purchasing on purchasing any of these implements/Straw reaper/Straw Bailer/multcher subsidy is provided Rs. 0.25 and on purchasing Happy seeder Rs. 0.25 lakh this way Toal Rs. 0.50 /- is provided additional subsidy.
14 -	क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है। Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.	जी हॉ Yes
15 -	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिए गए हैं। Whether any project profiles, etc. has been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	जी हॉ, Yes,
16 -	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो। Additional details if any	—

राज्य साख योजना – 2018–19

STATE CREDIT PLAN – 2018 –19

1	<p>योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित । (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए)</p> <p>Name of the scheme with sub-components, if any (Please give the following details sub-componentwise, if applicable)</p>	<p>अंतर्देशीय माटिस्यकी और जलकृषि का विकास</p> <p>“Development of Inland Fisheries and Aquaculture.“</p>
2	<p>व्या। यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।</p> <p>Whether it is a Government of India/State Government Sponsored Scheme?</p>	<p>केन्द्र प्रवर्तित योजना</p> <p>Centrally Sponsored Scheme</p>
3	<p>राज्य शासन के स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।</p> <p>Nodal Department at the State Government level responsible for implementing the Scheme</p>	<p>मछलीपालन विभाग, छत्तीसगढ़</p> <p>Fisheries Department Chhattisgarh</p>
4	<p>जिला स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग</p> <p>Nodal department at the District level responsible for implementing the Scheme</p>	<p>जिला मछली पालन अधिकारी।</p> <p>District Fisheries officer.</p>
5	<p>योजना का उद्देश्य</p> <p>Objective of the Scheme</p>	<p>अंतर्देशीय माटिस्यकी और जलकृषि का विकास के उद्देश्य निम्नानुसार है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को हितग्राही बनाकर उन्हें ग्रामीण तालाब 10 वर्षीय पट्टे पर उपलब्ध कराना तथा मछली पालन के स्वरोजगार के साधन उन्हें उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति कराना। पड़ित जलक्षेत्र में संघन मछली पालन के कार्य के अंतर्गत लाना तथा उनमें अधिक मत्स्योत्पादन करना। मत्स्य कृषक जिन्हे तालाब 10 वर्षीय पट्टा दिया गया है, संघन मछली पालन विधि अल्पावधि प्रशिक्षण योजना है। मत्स्य कृषकों को तालाब की मरम्मत तथा मत्स्य पालन व्यवसाय प्रारंभ करने के लिये प्रथम वर्ष की पूँजी के लिये बैंक से लम्बी अवधि को ऋण तथा शासकीय अनुदान उपलब्ध कराकर उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करना।

		<p>1. BPL families are beneficiaries and tanks are given them for 10 year lease. They develop their socio economic condition through fish culture.</p> <p>2. Barran water area are utilised through integrated fish farming.</p> <p>3. Identify fish farmers those who have provided tanks on lease for 10 years are trained for integrated fish farming and short term training.</p> <p>4. Loan and subsidy will be provided for 1st year fish culture and repairing of tank to get more target fish production.</p>
6	<p>क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना कियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों विकासखंडों के नाम दर्शायें जाए।</p> <p>Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State? If not, kindly indicate the regions/Districts/blocks where the Scheme is under implementation.</p>	<p>राज्य के सभी 27 जिले आ रहे हैं।</p> <p>Development of inland fisheries and aquaculture is registered in all 27 districts of the state.</p>
7	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लघु कृषक/ सीमान्त कृषक/ अन्य कृषक/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/ महिला आदि)</p> <p>Type of Beneficiaries covered under the scheme (SF/MF/OF/SC/ST/ Others/Men/Women etc.)</p>	<p>अन्तर्देशीय मात्रियकी और जल कृषि का विकास योजनान्तर्गत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं को हितग्राही बनाया जाता है।</p> <p>Under Development of inland fisheries and aquaculture Scheme beneficiaries are BPL class.</p>
8	<p>हितग्राहियों के लिए पात्रता मापदण्ड, यदि कोई हो तो ?</p> <p>Eligibility criteria for the beneficiary, if any</p>	<p>गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे व्यक्तियों को हितग्राही बनाया जाता है। इसके लिये निर्धारित प्राथमिकता कम निम्नानुसार है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मछुआ/अजजा/अजा की सहकारी समिति। 2. मछुआ/अजजा/अजा के समूह। 3. मछुआ/अजजा/अजा व्यक्ति विशेष। 4. विस्थापित मछुआ समिति/समूह/ व्यक्ति। 5. स्व सहायता समूह। <p>Eligibility criteria for this scheme is BPL. Priorities fixed are as under:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Society of fishermen ST/SC. 2. Group of fishermen ST/SC. 3. Individual fishermen ST/SC. 4. Migrated societies group/individual. 5. Self help group.

9	<p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर /दोनों व्यक्तिगत व समूह स्तर पर दी जाती है ?</p> <p>Whether assistance is provided on an individual basis/group basis/both, individual and group basis</p>	<p>सभी श्रेणी के मत्स्य पालकों को केवल एक बार सहायता (अनुदान) देने का प्रावधान है ।</p> <p>Subsidy provision only once for all classes of fishermen whether they are societies/groups/individual.</p>
10	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण । यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार को हितग्राहियों के लिए अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये ।</p> <p>Details of subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category-wise details Rate (%)</p> <p>Minimum</p> <p>Maximum</p> <p>GOI contribution</p> <p>State Govermnt contribution</p>	<p>भारत सरकार, कृषि मंत्रालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग नई दिल्ली के पत्र क. 27035-19/2015-fy(IV) दिनांक 28.09.2017 । इसमें निर्धारित पैटर्न अनुसार ही अन्तर्देशीय मात्रियकी और जल कृषि का विकास योजनान्तर्गत 1 से 15 आयटमों में सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत एवं अ.जा./अ.ज.जा. महिला एवं उनकी समितियां वर्ग के हितग्राहियों को 60 प्रतिशत अनुदान (भारत सरकार + राज्य सरकार) उपलब्ध कराया जाता है ।</p> <p>According to letter no. 27035-19/2017-fy(IV) Dated 28-09-2017 of Govt. of India Agriculture Ministry, Veterinary, Dairy and Fisheries Department, New Delhi for any proposal the total admissible Govt. Subsidy (Central + State) will be limited to 40% of the project cost for General category beneficiaries and 60% of the project cost for weaker sections like SCs, STs, women and their Co-operatives.</p> <p>1. तालाबों का निर्माण –</p> <p>रु. 7.00 लाख / हेक्टेयर के मान से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिये राजसहायता रु. 4.20 लाख प्रति हेक्टे.(60%) है । अन्य सभी वर्ग के किसानों के लिये रु. 2.80 लाख प्रति हेक्टे. की अधिकतम सीमा के साथ 40% की दर से राजसहायता देय है ।</p> <p>1. Construction of new ponds-</p> <p>Rs. 7.00 lakh/ha. for construction of pond. Under scheme subsidy @ of 40% with a ceiling of Rs. 2.80 lakh /ha for General cost farmers and SCs/STs farmers it will be ceiling of Rs. 4.20 lakh/ha (60%).</p> <p>2. तालाबों /टेंकों का पुनर्गठन/नवीनीकरण रु. 3.50 लाख/हे.। अनुदान दर सामान्य वर्ग के किसानों को रु. 1.40 लाख/हे. अधिकतम सीमा के साथ 40 प्रतिशत की दर से एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के किसानों के लिए रु. 2.10 लाख/हे. ।</p> <p>2. Reclamation/Renovation of ponds/tanks</p> <p>Rs. 3.50 lakh/ha. subsidy @ of 40% with the ceiling of Rs. 1.40 lakh/ha. for General cost farmers and for SCs/STs farmers it will be Rs. 2.10 lakh/ha. (60%).</p>

3. परिपूरक आहार हेतु :

अ. फिनफिश कल्चर— रु. 1.50 लाख/हे. अनुदान दर सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत की दर से अधिकतम सीमा रु. 60000/हे. एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए रु. 90000/हे. रु. 60 प्रतिशत ।

ब. मीठे जल में झीगा पालन— इकाई लागत रु. 2.50 लाख प्रति हे. अनुदान की दर सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 1.00 लाख/हे. एवं अजा/अजजा रु. 1.50 लाख (60%).

3. Cast of inputs

A. Finfish culture - Rs. 1.50 lakh/ha. @ of 40% subsidy with the ceiling of Rs. 60000/ha. for General cost farmers and for SCs/STs farmers it will be Rs. 90000/ha. 60% .

B. Fresh water prawn culture – Unit cost Rs. 2.50 lakh/ha. subsidy @ of 40% with the ceiling of Rs. 1.00 lakh/ha and ST/SC Rs. 1.50 lakh farmers it will be 60%.

4. ताजा जल मत्स्य बीज हैचरी –

मैदानी क्षेत्रों के लिए 10 मिलियन (फाई) क्षमता वाली 1 मत्स्य बीज हैचरी के लिए रु. 25.00 लाख अधिकतम लागत के साथ रु. 12.50 लाख अधिकतम अनुदान की पात्रता है।

4. Fresh water fish seed hatchery cast : Rs. 25.00 lakh for a fish seed hatchery with 10 milion (fry) capacity for the plain area Rs. 12.50 lakh subsidy.

5.(अ) फिशफिड यूनिट : छोटी इकाई हेतु इकाई लागत रु. 10.00 लाख जिसकी उत्पादन क्षमता 1-5 किंवटल/दिवस है अनुदान की दर 50 प्रतिशत के साथ अधिकतम सीमा रु. 5.00 लाख प्रति इकाई उद्यमियों को।

(ब) फिशफिड यूनिट : बड़ी इकाई में फारम्युलेटेड पैलेटेड फिशफिड इकाई हेतु इकाई लागत रु. 1 करोड़ /प्लॉट जिसकी उत्पादन क्षमता 6-10 टन/घंटा, अनुदान की दर 50 प्रतिशत के साथ अधिकतम सीमा रु. 1 करोड़/इकाई उद्यमियों को।

5. (A) Fish Feed Unit : Small unit Uinit cost is Rs. 10.00 lakh with a capacity of 1-5 qintal/ day. The subsidy would be @ 50% with a seiling of Rs. 5.00 lakh/unit to enterprnure.

	<p>(B) Fish feed unit: large formulated pelleted feed unit cost is Rs. 1 Crore/Plant with capacity of 6-10 per hour. The subsidy would be 50% ceiling of Rs. 1 crore/unit to enterprise.</p> <p>6.टाऊट ताजा जल झींगा बीज हैचरी की स्थापना – (1) 25 मिलियन पीएल/वर्ष की क्षमता वाली एक बड़ी ताजा जल झींगा हैचरी की यूनिट लागत 30.00 लाख रुपये है। यह राज्य स्तर पर हैचरी की स्थापना के लिए राज्य को एकमुश्त अनुदान। (2) 5 मिलियन पीएल/वर्ष की क्षमता वाली छोटी ताजा जल झींगा हैचरी की यूनिट लागत 50.00 लाख रुपये है। केवल उद्यमियों को रु. 25.00 लाख की अधिकतम सीमा के साथ 50 प्रतिशत की दर से एक बार देय।</p> <p>6. Establishment of trout and fresh water prawn seed hatchery:</p> <p>(1) Unit cost is Rs. 30.00 lakh for a large fresh water prawn hatchery with a minimum capacity of 25 million PL/year. This would be one time grant to state for establishment of hatchery at state level.</p> <p>(2) Unit cost of is Rs. 50.00 lakh for a small hatchery with 5 millions PL/year capacity. Subsidy @ of 50% with the ceiling of Rs. 25.00 lakh to entrepreneur as one time grant.</p> <p>7.आलकारिक/मत्स्य बीज का प्रमाणिकरण—रु 25.00 लाख प्रति इकाई। इसमें मछली रखने की व्यवस्था एवं इनकी बीमारियों की जांच हेतु लैब की व्यवस्था। यह राज्य शासन के लिए उपलब्ध है।</p> <p>7.Ornamental/fish seed certification- Rs. 25.00 lakh per unit including fish holding facilities and diseases diagnostic laboratories. Available for the state Governments.</p>	
11	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है। यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof than please be provided for different categories of beneficiaries.</p>	<p>नहीं।</p> <p>No.</p>

12	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनान्तर्गत अपेक्षित हैं।</p> <p>Type of economic activities envisaged under the scheme</p>	<p>ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के व्यक्तियों को हितग्राही बनाकर उन्हें ग्रामीण तालाब 10 वर्षीय पद्दटे पर उपलब्ध कराना तथा मछली पालन के स्वरोजगार के साधन एवं ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति करना है।</p> <p>To improve socio economic activities of BPL families in rural area they are provided tanks to fish farming and provided loan and subsidy also.</p>
13	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है। यदि हो तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for single borrower/group. If so, please give details.</p>	<p>कुल लागत की सीमा केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृत राशि के अंतर्गत है।</p> <p>No ceiling has been fixed for individual/groups.</p>
14	<p>क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।</p> <p>Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.</p>	<p>हाँ है।</p> <p>Yes.</p>
15	<p>क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिये गये हैं।</p> <p>Whether any project profiles etc. has been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	<p>हाँ</p> <p>Yes</p>
16	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।</p> <p>Additional details, if any.</p>	<p>नहीं है।</p> <p>No.</p>



संचालक मछली पालन
का छत्तीसगढ़

DIRECTORATE OF FISHERIES C.G.
STATE CREDIT PLAN FOR FISHERIES SECTOR FOR THE YEAR 2018-19

S.No.	Name of District	Physical Target in Hac.	Scheme/Programme				Rs. In lakh	
			1. Pond Renovation/Construction		2. Inputs			
			Financial Provision	Subsidy	Financial Provision	Subsidy	Financial Provision (4+7)	Subsidy (5+8)
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Raipur	53	39.75	17.80	26.50	11.96	66.25	29.76
2	Balodabajar	53	39.75	17.80	26.50	11.96	66.25	29.76
3	Gariaband	24	18.00	8.06	12.00	5.42	30.00	13.48
4	Dhamtari	74	55.50	24.86	37.00	16.72	92.50	41.58
5	Mahasamund	74	55.50	24.86	37.00	16.72	92.50	41.58
6	Durg	45	33.75	15.12	22.50	10.16	56.25	25.28
7	Bemetara	34	25.50	11.42	17.00	7.68	42.50	19.10
8	Baloud	45	33.75	15.12	22.50	10.16	56.25	25.28
9	Rajnandgaon	58	43.50	19.48	29.00	13.10	72.50	32.58
10	Kabirdham	38	28.50	12.76	19.00	8.58	47.50	21.34
11	Bilaspur	90	67.50	30.24	45.00	20.34	112.50	50.58
12	Mungeli	34	25.50	11.42	17.00	7.68	42.50	19.10
13	Janjgir-Chapa	74	55.50	24.86	37.00	16.72	92.50	41.58
14	Korba	74	55.50	24.86	37.00	16.72	92.50	41.58
15	Raigarh	84	63.00	28.22	42.00	18.98	105.00	47.20
16	Jashpur	40	30.00	13.44	20.00	9.50	50.00	22.94
17	Sarguja	42	31.50	14.12	21.00	9.48	52.50	23.60
18	Surajpur	36	27.00	12.10	18.00	8.12	45.00	20.22
19	Balrampur	30	22.50	10.08	15.00	6.78	37.50	16.86
20	Koriya	86	64.50	28.90	43.00	19.42	107.50	48.32
21	Kanker	86	64.50	32.25	43.00	21.50	107.50	53.75
22	Jagdalpur	43	32.25	16.15	21.50	10.75	53.75	26.90
23	Kondagaon	33	24.75	12.40	16.50	8.25	41.25	20.65
24	Narayanpur	52	39.00	19.50	26.00	13.00	65.00	32.50
25	Dantewada	28	21.00	10.50	14.00	7.00	35.00	17.50
26	Sukma	24	18.00	9.00	12.00	6.00	30.00	15.00
27	Bijapur	28	21.00	10.50	14.00	7.00	35.00	17.50
	Total	1382	1036.50	475.82	691.00	319.70	1727.50	795.52

Director of Fisheries

Chhattisgarh